न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 9/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा

दायरा दिनांकः 11.1.2018

अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. कन्हैयालाल आत्मज रामचन्द्र जाति धाकड
2. जितेन्द्र आत्मज त्रिलोक चंद
3. हेमेन्द्र आत्मज त्रिलोक चन्द
4. रोहिताश आत्मज त्रिलोकचन्द
5. भूली पत्नी त्रिलोकचन्द जाति ब्राहमण

निवासीगण ग्राम गोदल्याहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

...अपीलाट्स

बनाम

1 बुद्धि प्रकाश आत्मज बजरंगलाल जाति ब्राहमण,
निवासी ग्राम गोदल्याहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री विद्याशंकर गोस्वामी अभिभाषक अपीलाट
श्री हेमेन्द्रसिंह आसावत अभिभाषक रेस्पो0 क्रम--1

निर्णय

दिनांक 27.6.2018

अपीलार्थीगण ने न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 871 वाकै ग्राम गोदल्याहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा (संक्षेप मे अपीलाधीन नामान्तरकरण) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा अपील सं0 17/237 बुद्धिप्रकाश बनाम कन्हैयालाल वगेरा मे पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 4.10.2017 के आलोक मे तहसीलदार लाडपुरा के आदेश क्रमांक/भू0अ0/17/10985 दिनांक 14.11.2017 की पालना मे भूमि ख0 नं0 130 रकबा 1.30 है0, 134 रकबा 0.14 है0, 142 रकबा 0.20 है किता 3 रकबा 1.64 है0 एवं ख0 नं0 16 रकबा 0.77, ख0 नं0 20 रकबा 1.48, ख0 नं0 48 रकबा 0.95, ख0 नं0 539 रकबा 1.92 किता 4 रकबा 5.12 है0 तथा ख0 नं0 512 रकबा 0.91है0 कुल किता–8 रकबा 7.67 है0 आराजी खातेदार कन्हैयालाल, जितन्द्रकुमार, हेमन्तकुमार, रोहिताशकुमार, भूलीबाई के स्थान पर बुद्धिप्रकाश पुत्र बजरंगलाल मृतक पुत्र माधोलाल का नाम दर्ज करने का तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 22.12.2017 को स्वीकृत नामान्तरकरण

संख्या 871 ग्राम गोदल्याहेडी से अप्रसन्न होकर राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय मे हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल सं0 142 प्रभाव मे होते हुये उक्त इन्तकाल को चैलेन्ज किये बिना ही उसी भूमि के संबध मे इन्तकाल सं0 150 विधिविरूद्ध तरीके से रेस्पो0 क्रम–1 के पक्ष मे खोला था जिसे पूर्व तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 10.12.96 को खारिज कर दिया गया था जिसके विरूद्ध रेस्पो0 क्रम 1 ने आज तक कोई अपील पेश नही की इस प्रकार विवादित आराजी का इन्तकाल सं0 142 जो केता मांग्या के पक्ष मे खोला गया था, आज प्रभावशील है। उक्त तथ्यों को तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नजरअंदाज कर अपीलाधीन नामा0 खोला गया जो न्याय संचिका मे निहित तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.22.17 मे आर0ए0ए0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.10.17 का अमल, आदेश के स्पष्टीकरण के अभाव मे उक्त आदेश डिफेक्टिव मानने के बावजूद भी दिनांक 22.12.17 को सभी तथ्यो को नजरअंदाज करते हुये अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत करने मे भूल की है। इन्तकाल सं0 217, 218, 219 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार तस्दीक किये गये थे रेस्पो0 क्रम–1 को उक्त इन्तकाल तथा तीनो विक्रय पत्रो से किसी प्रकार की आपत्ति थी तो उसको विधि अनुसार सक्षम सिविल कोर्ट मे चैलेन्ज करना चाहिये था उसके बिना तीनों इन्तकालो के विरूद्ध किसी भी प्रकार का विपरीत कथन करने से रेस्पो0 क्रम–1 कानूनन एस्टोप्ड था उक्त सभी तथ्यो को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किया गया। आर0ए0ए0 द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 4.10.17 के विरूद्ध राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे अपीलांट द्वारा अपील पेश की हुई है उसके अलावा स्वयं रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा भी राजस्व अपील अधिकारी कोटा के समक्ष उसके पक्ष मे पारित निर्णय को दुरूस्त करवाने हेतु धारा 151 व 152 सीपीसी का प्रार्थना पत्र जेरकार रहते तहसीलदार लाडपुरा ने अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत कर त्रुटि की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो का उल्लघंन है। अतः अपील स्वीकार कर नामा0 सं0 871 दिनांक 22.12.17ग्राम गोदल्याहेडी निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम–1 सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने प्रकरण मे लिखित बहस पेश की जो संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि तहसीलदार लाडपुरा ने आरएए के निर्णय की पालना हेतु दिनांक 13.11.2017 को दिये गये आदेश को दिनांक 28.12.2017 के आदेश मे त्रुटिपूर्ण माना इस कारण इन्तकाल नं0 871 को पुनरावलोकन हेतु दर्ज किया गया। तहसीलदार को लेण्ड रिकार्ड नियम 133–137 त्रुटिपूर्ण खोलेगये इंतकाल के पुनरावलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। किन्तु इंतकाल के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा मे पेश होने तथा उसमे इन्तकाल सं0 871 की कियान्विति नही करने का स्थगन आदेश हो जाने से तहसीलदार उक्त इंतकाल निरस्त करने मे असमर्थ रहा क्योंकि रिपोर्ट दिनांक 28.12.17 मे बुद्धिप्रकाश द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151, 152 सीपीसी का समस्त भूमि नाम दर्ज करने हेतु राजस्व अपील अधिकारी कोटा के यहा पेश किया गया। इस कारण निर्णय दिनांक 4.10.17 की पालना मे आदेश दिनांक 13.11.17 मे बुद्धिप्रकाश का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया वह पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है, यह तथ्य तहसीलदार लाडपुरा ने अपने पुनरावलोकन मे रिपोर्ट दिनांक 28.12.17 मे अंकित किया है इस कारण इंतकाल त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। विवादग्रस्त आराजी शामलाती खाते मे दोनो सगे भाई मांग्या, माधो आ0 ग्यारसीलाल ब्राहमण हिस्सा बराबर दर्ज थी जो लाऔलाद 1994 मे मरने के बाद माधो का 1/2 हिस्सा इंतकाल सं0 142 से मांग्या के हिस्से मे दर्ज कर दिया इस प्रकार कुल रकबा 7.67 है0 भूमि पर वह मालिक व काबिज काश्त हो गया। इस इंतकाल सं0 142 को रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा आज तक चैलेन्ज नही किया गया जो आज भी बहाल है। अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर माधो के 1/2 हिस्से का बुद्धिप्रकाश के नाम तस्दीक नामा0 सं0 150 दिनांक 10.12.1996 को खारिज कर दिया गया। तथा बाद 198/2014 पेश किया गया जिसे न्यायालय ए0सी0एम0 कोटा द्वारा दिनांक 12.5.2017 को खारिज किया गया जिसकी अपील सं0 17/237 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां पेश होने पर निर्णय दिनांक 4.10.2017 से एसीएम का निर्णय निरस्त कर रेस्पो0 क्रम–1 को 1/2 हिस्सा देने का आदेश किया गया ऐसी स्थिति मे रेस्पो0 क्रम–1 कुल आराजी मे से 1/2 माधो का

प्राप्त करने का अधिकारी है मांग्या का 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है इस कारण ही तहसीलदार ने नामा0 सं0 871 का पुनरावलोकन किया जाना उचित माना है। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 4.10.2017 के बाद रेस्पो0 क्रम–1 ने प्रार्थना पत्र 151,152 सीपीसी का बावत निर्णय मे संशोधन हेतु पेश किया जिसे राजस्व अपील अधिकारी ने दिनांक 5.2.2018 को खारिज कर दिया। रेस्पो0 क्रम–1 ने नामा0 खुलवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की तहसीलदार द्वारा जांच किये बगेर दिनांक 13.11.2017 को आदेश दिया गया जिसको अपनी रिपोर्ट दिनांक 28.12.2017 को त्रुटिपूर्ण माना गया ऐसी स्थिति मे नामान्तरकरण सं0 871 काबिल निरस्तनीय है। अपने तर्क के समर्थन मे आरआरडी 1988 पेज 254 का न्यायिक उद्धरण पेश किया। लिखित बहस मे यह वर्णित किया कि अपीलांट ने मूल खातेदार मांग्या से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 23.7.1997 को ख0नं0 130, 134, 142 रकबा 1.64 है0 तथा अपी0 क्रम 2, 3, 4 ने दिनांक 7.2.1998 को ख0 नं0 16, 20, 48, 539 रकबा 5.12 है0 तथा अपीलांट क्रम–5 ने ख0नं0 512 रकबा 0.51 है0 आराजी क्रय की थी जिसके इंतकाल 219, 217, 218 तस्दीक कर अपीलांट क्रम–1 लगायत 5 को रिकार्डेड खातेदार दर्ज किया गया। उक्त विक्रय पत्रों को निरस्त कराने संबधी सिविल कोर्ट मे रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई ना ही उक्त नामा0 को आज तक चुनोती दी गई।रेस्पो0 क्रम 1 ने धारा 53 आरटीए का दावा सं0 153/97 पेश किया था जिसमे माधो का 1/2 हिस्सा लेने का वर्णन है जिसे एसीएम ने दिनांक 29.6.1998 को खारिज कर दिया। इसी प्रकार दावा सं0 194/14 पेश किया जिसमे माधो के हिस्से 1/2 लेने का वर्णन है जिसे दिनांक 12.5.2017 को खारिज कर दिया इस प्रकार स्पष्ट है कि माधो के हिस्से 1/2 का रेस्पो0 नं0 1 वैध वारिस है। उक्त निर्णय 12.5.2017 की अपील मे राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा उक्त निर्णय को निरस्त कर दिया एवं दिनांक 4.10.2017 को निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। राजस्व अपील अधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 4.10.2017 मे बुद्धि प्रकाश को दत्तक माधो बनाने का निर्णय व डिक्री जारी की गई। तहसीलदार लाडपुरा रेस्पो0 क्रम–2 ने पुनरावलोकन रिपोर्ट दिनांक 28.12.2017 मे 13.11.2017 की रिपोर्ट को गलत माना जो पत्रावली मे उपलब्ध है जिसका अवलोकन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 871 निरस्त किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–2 ने अपनी बहस मे प्रकट किया कि धारा 53 का दावा न्यायालय एसीएम कोर्ट से खारिज होने उपरांत संशोधित दावा धारा 53, 88, 188 आरटीए का लोवर कोर्ट मे पेश किया गया जिसे लोवरकोर्ट ने खारिज कर दिया जिसकी अपील रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा राजस्व अपील अधिकारी कोटा के यहां की गई। जिसे राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 4.10.2017 को स्वीकार कर निर्णय/डिक्री पारित की गई जिसके अनुसार मेरा धारा 53, 88, 188 आरटीए का दावा स्वीकार हो गया तथा आरएए के निर्णय व डिक्री की पालना मे नामान्तरकरण सं0 871 तस्दीक किया गया जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने बहस मे आगे प्रकट किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मूल आदेश निर्णय दिनांक 4.10.2017 की अपील नही है। आरएए द्वारा पारित निर्णय/डिक्री (मूल आदेश) दिनांक 4.10.2017 की अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे वर्तमान मे विचाराधीन है जो प्रकरण मे रिकार्डेड तथ्य है ऐसी स्थिति मे अपीलांट प्रश्नगत अपील प्रकरण मे विधिक रूप से कोई अनुतोष प्राप्त करने का वैधानिक अधिकारी नही है। इस संबध मे आरआरडी 1999 पेज 343 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील सारहीन होने से खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख नामा0 सं0 871 दिनांक 22.12.2017 ग्राम गोदल्याहेडी के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित भूमि ख0 नं0 130 रकबा 1.30 है0, 134 रकबा 0.14 है0, 142 रकबा 0.20 है किता 3 रकबा 1.64 है0 एवं ख0 नं0 16 रकबा 0.77, ख0 नं0 20 रकबा 1.48, ख0 नं0 48 रकबा 0.95, ख0 नं0 539 रकबा 1.92 किता 4 रकबा 5.12 है0 तथा ख0 नं0 512 रकबा 0.91है0 कुल किता–8 रकबा 7.67 है0 खातेदार कन्हैयालाल, जितन्द्रकुमार, हेमन्तकुमार,

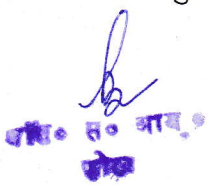

रोहिताशकुमार, भूलीबाई के स्थान पर बुद्धिप्रकाश पुत्र बजरंगलाल मृतक पुत्र माधोलाल के नाम दर्ज करने का राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा अपील सं0 17/237 बुद्धिप्रकाश बनाम कन्हैयालाल वगेरा मे पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 4.10.2017 पालना मे तहसील लाडपुरा के आदेश क्रमांक/भू0अ0/17/10985 दिनांक 14.11.2017 की पालना मे तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 22.12.2017 को स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण मे बुद्धिप्रकाश द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा अपील अपील सं0 17/237 बुद्धिप्रकाश बनाम कन्हैयालाल वगेरा मे पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 4.10.2017 के विरूद्ध अपील सं0 5981/17 कन्हैयालाल वगेरा बनाम बुद्धिप्रकाश आदि, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे पेश की हुई है जो नकल आर्डरशीट दिनांक 9.10.2017 से 30.4.18 के अनुसार वर्तमान मे विचाराधीन होना प्रकरण मे रिकार्डेड तथ्य है। ऐसी स्थिति मे राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा अपील प्रकरण सं0 17/237 मे दिनांक 4.10.2017 को पारित निर्णय/डिक्री की पालना मे तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपील विषयक स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण सं0 871 दिनांक 22.12.2017 ग्राम गोदल्याहेडी मूल आदेश नही होने से प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी द्वारा नामा0 सं0 871 निरस्त करने संबधी चाहा गया अनुतोष न्यायोचित नही होने से प्राप्त करने का अपीलांट वैधानिक अधिकारी नही है। इस संबध मे विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरडी 1999 पेज 343 प्रश्नगत प्रकरण मे चस्पा होती है। उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 27.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा